न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, पीलीभीत

उपस्थितः–महेन्द्र श्रीवास्तव (एच0जे0एस0)

फौजदारी निगरानी सं0–105/2026

आरिफ पुत्र सद्दीक निवासी मोहल्ला खानकाह कस्बा व थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य ।
2. आकाश कुमार पुत्र धर्मेन्द्र कुमार निवासी ग्राम खमरिया पट्टी थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत।

..... प्रत्यार्थीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 1 पीलीभीत द्वारा मु.अ.सं. 263/2025, सरकार बनाम आरिफ, धारा 3/5/8 सी.एस.एक्ट थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत में पारित आदेश दिनॉक 02.01.2026 से विक्षुब्ध होकर योजित की गई है जिसके माध्यम से न्यायालय द्वारा उपरोक्त आपराधिक प्रकरण मे दाखिल आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया है।

2. संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत पर मु.अ. सं. 266/2025 अंतर्गत धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम पर वादी मुकदमा आकाश कुमार द्वारा एक प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध इस आशय की दर्ज की गई कि दिनॉक 12.04.2025 को समय करीब 8.30 बजे प्रार्थी/वादी आकाश कुमार पुत्र धर्मेन्द्र कुमार अपने गांव खमरिया पट्टी से पूरनपुर जा रहा था रास्ते मे नहर की पटरी कच्चा रास्ता के किनारे रामदयाल का खेत व बगिया मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गौवंशीय पशु का वध करके अवशेष डाल दिये है। उपरोक्त प्राथमिकी के क्रम में क्रमशः अभियुक्त मो. कमर, अकरम, इसरार, शाहिद व आरिफ को गिरफ्तार कर दिनॉक 16.04.2025 को सम्बंधित अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्बंधित अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का रिमाण्ड अंतर्गत धारा 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस आधार पर रिफ्यूज कर दिया गया कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिसके आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त की संलिप्तता इस अपराध मे दर्शित होती हो। अभियुक्तगण द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति की किसी अन्य साक्ष्य से पुष्टि नही हो रही है। मात्र अभियुक्तगण की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर रिमाण्ड स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नही है। उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त सम्बंधित विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त दिनॉक 09.07.2025 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनॉक 02.01.2026 के माध्यम से संज्ञान लिया गया।

3. निगरानी के अनुसार अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 विधि विरुद्ध त्रुटिपूर्ण तथा नियम विरुद्ध है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 बिना विधिक मस्तिष्क का प्रयोग कर पारित किया गया है, जोकि स्थिर रहने योग्य नहीं है, हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.01.2026 को

पारित करते समय तात्विक अनियमितता व अवैधानिकता करते हुये आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि के प्राविधानो के विरुद्ध आदेश दिनांक 02.01.2026 पाारित किया है, जो स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–23(2) पर अपना ध्यान केन्द्रित न करके विधिक त्रुटि कारित की है, इस कारण भी अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा इस ओर भी अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया है कि निगरानीकर्ता के ऊपर उपरोक्त अपराध नहीं बनता है इस कारण भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता के ऊपर कोई भी अपराध नहीं बनता है इस कारण अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता को दिनांक 12/13.04.2025 की रात्रि समय तकरीबन 12.30 बजे सोते हुये घर में घुसकर घर वालो व अन्य मोहल्ले वालो के सामने जबरन पकड़कर उपरोक्त थाना पुलिस लाई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो घटना व समय दिखाया गया है, वह गलत व फर्जी है। निगरानीकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। निगरानीकर्ता मुस्लिम दर्जी जाति का है तथा उसकी सिलाई की दुकान मेन मार्केट में शीबा टेलर्स कोट पैन्ट के नाम से मशहूर है। निगरानीकर्ता के रिश्तेदार अकील अहमद एडवोकेट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आई०जी०आर०एस० के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पर व अन्य उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिये गये जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा आई०जी०आर०एस० के प्रार्थना पत्र पर कोई भी सम्मानजनक कार्यवाही नहीं की गयी, जिसकी प्रति निगरानी के साथ संलग्न है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी घटना स्थल पर व अभियुक्त के घर पर व मोहल्ले वालो के कोई भी ब्यान अंकित नहीं किये गये हैं और मोहल्ले वालों की तरफ से गिरफ्तारी को गलत बताते हुये सगे बड़े भाई व अन्य एक व्यक्ति ने शपथपत्र दिये हैं। निगरानीकर्ता का रिमाण्ड आदेश दिनांक 16.04.2025 को मु0अ0सं0–263/2025 अन्तर्गत धारा–3/5/8 सी०एस० एक्ट व मु0अ0सं0–266/2025 अन्तर्गत धारा–3/5/8 सी०एस० एक्ट, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय ने रिमाण्ड पर संज्ञान लेते हुये पुलिस द्वारा रिमाण्ड में कमियां पाते हुये माननीय अवर न्यायालय द्वारा दोनो मुकदमो का रिमाण्ड रिफ्यूज कर दिया गया। निगरानीकर्ता को मु0अ0सं0–273/2025 में माननीय अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2025 से 19.04.2025 तक आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था और माननीय अवर न्यायालय द्वारा पुलिस को यह निर्देशित किया गया था कि अपराध कैसे बनता है और निगरानीकर्ता के अधिवक्ता महोदय को यह बताते कि अपराध क्यों नहीं बनता है, निगरानीकर्ता के अधिवक्ता महोदय ने इस तथ्य से अवगत कराया तो माननीय अवर न्यायालय द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं आई०जी०आर०एस० पर दिया हुआ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसको माननीय अवर न्यायालय द्वारा केन्द्रित न कर सरसरी तौर से बिना विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये रिमाण्ड स्वीकार कर लिया है। निगरानीकर्ता को मु0अ0सं0–273/2025 में गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का कोई भी पालन नहीं किया गया है, जिस कारण भी दिनांक 02.01.2026 को पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता के खिलाफ जो आरोप पत्र मा० न्यायालय में दाखिल किया गया है, वह काफी समय

बाद सोच–समझकर व आरोप–पत्र को तैयार किया गया व जो गवाह सी०डी० में दिखाये गये हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा ब्यान नहीं दिया जिससे यह साबित होता है कि निगरानीकर्ता के ऊपर कोई अपराध बनता है। आरोप पत्र में दाखिल किसी भी सी०डी०आर० व सी०सी०टी०वी० फुटेज व घटना स्थल से किसी भी साक्ष्य को आरोप पत्र में संकलित नहीं किया गया है और न ही किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह साबित हो कि निगरानीकर्ता किसी भी मामले में संलिप्त है। निगरानीकर्ता को केवल ट्रांजेक्शन के आधार पर व सहअभियुक्तों के ब्यानों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, जो गलत है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.04.2025 है और ट्रांजेक्शन की अन्तिम तिथि 25.03.2025 है, जिसमें लगभग 17 दिन का अन्तर है। निगरानीकर्ता टेलरिंग का काम करने हेतु आये दिन अपनी दुकान से शीबा टेलर से ट्रांजेकशन करते हैं और अपनी दुकान चलाने हेतु कोट के अस्तर व बुकरम व नल्की व अन्य सामान के लिये भी यू०पी०आई० के माध्यम से लेन–देन करते हैं, जोकि निश्चित तौर पर सामान्य लेन–देन की श्रेणी में आता है न ही किसी अपराध की श्रेणी में आता है। निगरानीकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र ट्रांजेक्शन के अलावा विवेचक महोदय द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही बनता है। इस कारण भी विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र सं0–281/2025 दिनांक 02.01.2026 पर संज्ञान लिये जाने के माननीय न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। निगरानीकर्ता के आरोप पत्र में उक्त रिमाण्ड रिफ्यूज का जिक्र अपने पर्चों में गोल–मोल तरीके से करते हुये रिमाण्ड रिफ्यूज वाली बात न बताते हुये आरोप पत्र माननीय न्यायालय में अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। निगरानीकर्ता पूरनपुर में मेन मार्केट में मशहूर सीबा टेलर के नाम से कोट–पैन्ट की दुकान चलाता है, जिसके चलते थाना पूरनपुर की पुलिस ने कई कोट–पैन्ट व कुर्ते पैजामे सिलवाये थे। निगरानीकर्ता ने अपनी सिलाई के पैसे मांगे तो इसी बात को लेकर निगरानीकर्ता के साथ झगड़ा–फसाद में यह कहते हुये चले गये कि हम साले तुझे ऐसे झूठे मुकदमे में फांसेंगे, जिससे तेरी जिन्दगी बर्बाद हो जाएगी। निगरानीकर्ता ने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ समय बाद निगरानीकर्ता को उसी के घर से सोते से उठाकर ले गये और रंजिश के चलते झूठे मुकदमो में अभियुक्त बना दिया। निगरानीकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करते समय पुलिस के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी और न ही माननीय अवर न्यायालय द्वारा कोई भी सूचना किसी भी अभियुक्त को प्राप्त नहीं हुयी। इस कारण भी पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त होने योग्य है।

4. निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश खिलाफ कानून एवं तथ्यो व परिस्थितियो के खिलाफ है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का वैधानिक प्रयोग न करते हुए विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश से न्याय का उद्देश्य विफल होता है। विद्वान्

मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया गया है। दौरान विवेचना विवेचक निगरानी कर्ता के विरूद्ध प्रथमदृष्टया पर्याप्त व सारवान साक्ष्य संकलित करने मे असफल रहे हैं। एक ओर विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा साक्ष्य की अपर्याप्तता के आधार पर अन्य अभियुक्तगण के साथ अभियुक्त का रिमाण्ड रिफ्यूज किया गया है और वहीं दूसरी ओर प्रथमदृष्टया पर्याप्त व सारवान साक्ष्य के आभाव मे दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया गया है जो कि विधितः त्रुटिपूर्ण है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश हर प्रकार से खिलाफ कानून है तथा आलोच्य आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

6. विपक्षी सं. 1 की ओर से विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि आलोच्य आदेश पूर्णतया विधिसम्मत् है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का वैधानिक प्रयोग करते हुए प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तुत आरोपपत्र पर संज्ञान लिया गया है। अतः निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

7. निगरानीकर्ता के विरूद्ध थाना पूरनपुर पर मुकदमा अपराध सं. 263/2025 अंतर्गत धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम दर्ज किया गया। अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा की मांग हेतु प्रस्तुत किया गया परंतु विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा दिनॉक 16.04.2025 को आदेश पारित करते हुए न्यायिक अभिरक्षा की मांग अस्वीकृत कर दी गयी और रू. 20,000/–रू. का एक बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर रिहा किए जाने हेतु आदेशित किया गया साथ ही यह भी शर्त जोड़ी गयी कि अभियुक्त विवेचना मे सहयोग करेगा। मामले मे विवेचक द्वारा विवेचना की गयी और निगरानीकर्ता एवं अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपपत्र प्राप्त होने पर दिनॉक 02.01.2026 को प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त को जरिये समन तलब किया गया। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनॉकित 02.01.2026 से क्षुब्ध होकर अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

8. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनॉक 11.04.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज की गई। दिनॉक 16.04.2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक अभिरक्षा हेतु विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा यह निष्कर्ष देते हुए कि पत्रावली पर अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य नही है, अतः न्यायिक अभिरक्षा का आधार पर्याप्त नही है और विवेचक द्वारा मांगी गयी न्यायिक अभिरक्षा को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके उपरान्त विवेचना प्रचलित रही। सुनवाई के दौरान विवेचक/उपनिरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह न्यायालय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि रिमाण्ड अस्वीकृत होने के उपरान्त अग्रिम विवेचना प्रारम्भ की गयी और तमाम स्थानीय साक्षियो के बयान दर्ज करते हुए बरामदगी इत्यादि के आधार पर यह पाया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु पर्याप्त

साक्ष्य उपलब्ध है इस कारण आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र साक्षियो का बयान भी केस डायरी मे दर्ज किया गया। अतः प्रथम रिमाण्ड के अवसर पर यदि मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथमदृष्टया साक्ष्य न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत करने हेतु पर्याप्त नही पाया गया तो इसका तात्पर्य यह नही है कि उसके बाद की गयी विवेचना निरर्थक है और अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है। न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अस्वीकृत होने के उपरान्त विवेचक द्वारा आगे की विवेचना की गयी स्वतंत्र साक्षियो के बयान दर्ज किए गए और अन्य साक्ष्य संकलन किया गया जिसके आधार पर विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा यह पाया गया कि प्रसंज्ञान लेने हेतु पर्याप्त आधार है। अतः आलोच्य आदेश पारित करते हुए अपराध का प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त को तलब किया गया। प्रसंज्ञान के स्तर पर साक्षियो के दर्ज बयानो की समीक्षा किया जाना आवश्यक नही है। मात्र यह देखना है कि प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

9. निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से विधिव्यवस्था 2026 आईएनएससी 120, प्रमोद कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. एवं अन्य तथा रितु छाबड़िया बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य, रिट पिटीशन (क्रिमनल) नं. 60/2023 एस.सी. प्रस्तुत की गई, जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने के कारण उपरोक्त विधिव्यवस्थायें इस मामले पर लागू नही होती है।

10. विद्वान् मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष में किसी प्रकार की अनियमित्ता प्रतीत नही होती है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा निहित क्षेत्राधिकार के तहत प्रदत्त शक्तियो का वैधानिक रूप से प्रयोग करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिसमे विधि एवं क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि होना नही पायी जाती है। अतः निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी सं. 105/2026, आरिफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि निरस्त की जाती है। विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं. 1 पीलीभीत द्वारा पारित आलोच्य आदेश पुष्ट किया जाता है। निर्णय की प्रति सम्बंधित न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांकः 27.06.2026

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.–1,
पीलीभीत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 27.06.2026

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.–1,
पीलीभीत।